फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाईनेन्स लि0** बनाम **श्री सतपाल मीणा**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र रिव्यू** नम्बर **15 / 27 / 2019**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.19	आज यह प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं। प्रार्थी वकील द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी (मूल प्रकरण में प्रार्थी) की तलबी हेतु तलबाना आदिनांक तक पेश नहीं किया गया और ना ही आज उपस्थित आयें, प्रार्थी वकील को बार–बार आवाज दिलाई गई उपस्थित नहीं आऐं। हमनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2019 का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना के संबंध में पूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2018 को आदेश दिये जा चुके है कि धारा 14 सिक्योरटाईजेशन एक्ट का स्त्रोत सीमित है। इस में secured creditor को रहन सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु वांछित सहायता उपलब्ध करवाना होता है। ऋण देने ओर लेने वाले के बीच में रहन रखी सम्पत्ति बाबत निर्णय करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है। यदि आवेदक इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2018 से आहत है तो धारा 17 में डी0आर0टी0 जयपुर में अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2018 में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी सतपाल मीणा पुत्र रामस्वरूप मीणा निवासी मीणा मौहल्ला ग्राम हींसला द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। जिला कलक्टर,अलवर।	